(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 06 / 2022
रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2022 / 143

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ
(प्रार्थी)

बनाम

श्री ओम सिंह राजपुरोहित पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) निवासी 25 मंदिर के पास, वासनी मन्ना, जोधपुर बवारली जिला जोधपुर हाल निवासी ब्रज विहार कॉलोनी, अन्ता जिला बारॉ (राज.) मैसर्स ओम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन चौराहा कोटा बारां रोड अन्ता जिला बाराँ
(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) व दण्डनीय धारा 51

उपस्थिति :– 1– श्री गोविन्द गुर्जर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– अनुपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 01.07.2022

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2021 को मैसर्स ओम जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन चौराहा कोटा बारां रोड, अन्ता जिला बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री ओम सिंह राजपुरोहित पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.10.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 869 दिनांक 27.09.2021 एवं क्रमांक 304 दिनांक 27.09.2021 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 16:37:03 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया ज[illegible] खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 10 से 12 [illegible] रखा हुआ था। [illegible] अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। [illegible]क्रेता से मौके पर खाद्य [illegible] **खोया (खुला हुआ)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** विक्रय हेतु रखे हुए थे जिसमें मिलावट का शक होने पर 01 किग्रा. वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री ओम सिंह राजपुरोहित पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित (मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) को 250/– रूपये (अक्षरे दो सौ पचास रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** को पुनः एक रूप करके साफ–सूखे व खाली प्लास्टिक की शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में डालकर, प्रत्येक नमूना भागों मे अलग–अलग कर 20–20 बून्दे फोमलीन बतौर प्रीजरवेटिव डालकर ढक्कन लगाकर एयर टाईट बन्द किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक ए.एच.–1226 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1226 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओम सिंह राजपुरोहित पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित(मौके पर मौजूद विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र कमांक/एफएसएसए/2021/274 दिनांक 30.12.2021 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक 473/PHL/Act/2021/512 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक** (**Substandard**) है। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दिनांक 06.05.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थी को रूक–रूककर तीन बार आवाज दिलवाई गई। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में एकपक्षीय बहस राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉं की सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व दण्डनीय धारा 51 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **खोया(खुला हुआ)** खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 473/PHL/Act/2021/512 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) व दण्डनीय धारा 51 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 50,000/— रूपये (अक्षरे पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई—मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण में अप्रार्थी के इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जर्ये तहरीर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पालनार्थ भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.01.17 11:37:03 IST
Reason: SelfAttested